

मुन्त. प्रा0 / 72 / 2017

- 1- राजेन्द्र } पुत्रगण रुपसिंह जाति जाट निवासी नगला झामरा तहसील  
2-रामकुमार } बयाना जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-भीकमसिंह उर्फ भीकराम }  
2-धीरेन्द्र } पिसरान पूरनचंद अकवाम ब्राह्मण निवासी  
3-ओमवीर } नगला किरिया तहसील किरावली जिला आगरा  
4-सोमवीर }  
5-शीला बेबा पूरनचंद }  
6-ममता पुत्री पूरनचंद पत्नी राजेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी डावर तहसील किरावली  
जिला आगरा  
7-मोनेष पुत्री पूरनचंद पत्नी श्यामू जाति ब्राह्मण निवासी कोरई तहसील किरावली  
जिला आगरा यूपी  
8- महेन्द्र | पिसरान कलुआ जाति ब्राह्मण निवासी वरिधा तहसील रुपवास  
9-पातीराम | तहसील रुपवास

.....असल अप्रार्थीगण

.....तरतीवी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मुन्तकिली विरुद्ध कार्यवाहक सहायक  
कलेक्टर उच्चैन श्री परसराम मीणा,आर.ए.एस. बाबत मुकदमा  
पूरचंद बनाम राजेन्द्र वगैरे प्रकरण संख्या 21 / 2012

उपस्थित :-

- 1-श्री राजेन्द्र सिंह अभिभाषक प्रार्थी0  
2-श्री प्रमोद उपमन अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय

दिनांक 11.12.2017

प्रार्थी0 ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीयान इस आशय का पेश किया गया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण सहायक कलक्टर उच्चैन के न्यायालय में विचाराधीन है। सहायक कलक्टर उच्चैन का पेशगार असल अप्रार्थीगण का रिश्तेदार है। अप्रार्थी. व पेशगार की मिली भगत होने से

.....2

(2)

राजेन्द्र बनाम भीकम उर्फ भीकराम वगे0

मुन्त. प्रा0 / 72 / 2017

सहायक कलक्टर उच्चैन न्यायालय से प्रार्थी. को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। विचाराधीन प्रकरण को किसी अन्य दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। प्रार्थना पत्र पर सहायक कलक्टर उच्चैन से टिप्पणी तलब की गई। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थी की न्याय के प्रति शंका मध्यनजर रखते हुये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। सहायक कलक्टर, उच्चैन न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण पूरचंद बनाम राजेन्द्र वगे0 प्रकरण संख्या 21/2012 उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है। निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना एवं सहायक कलक्टर उच्चैन को पालेनार्थ प्रेषित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. एन. के. गुप्ता)

जिला कलक्टर  
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official